भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

मिसिल संख्या -: 9-HRC078/2021-CHA **दिनांक: 25 -11-2021**

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ - 160001(fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 6.387 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Palwal for improvement of Palwal-Hathin-Uttariar Road (MDR 135) Km. 0.400to 22.40, under forest division and District Palwal, Haryana (online proposal no. FP/HR/ROAD 45196/2020)

संदर्भ: i) प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9832/1608 दिनांक 31.05.2021
ii) नोडल आफिसर हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9832/4420 दिनांक 18.10.2021
iii) Minutes of the 40th REC meeting held on 17.06.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और REC द्वारा स्वीकृति के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतू **6.387ha** वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है |

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये |

ii. **वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच छानुसार नही बदलेगें |**

iii. **नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें |**

iv. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

*बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, **चंडीगढ़**-160030 / **Bays No.** 24-25, Sector-31 A, **Chandigarh**-160030*
*दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in*

v. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

vi. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट http//forestsclearance.nic.in या http//efclearance.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

vii. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;

viii. Provide the status and time line for compliance of one old proposal of user agency (PWD B&R Palwal) namely, FP/HR/ROAD/17387/2016 which is still pending for compliance of conditions of S-I;

ix. The State Govt. shall not issue temporary working permission until the entire compensatory levies are deposited by User Agency and confirmed online on Ministry's web-portal;

x. Original copy of FRA certificate be uploaded and provided.

(B) अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 1,632 और पौधो की संख्या 769 से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से **12.774** हैक्टेयर वन क्षेत्र में और **1.538** हैक्टेयर वन क्षेत्र पौधें लगाकर किया जायेगा |

iv. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

v. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें |**

vi. **नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें |**

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

viii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

ix. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी|

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xv. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।***

भवदीय,

-sd-
(सी० डी० सिंह)
उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(adgfc-mef@nic.in)
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(cffcpanchkula@gmail.com)
4. Addl. PCCF (FCA) & CAMPA, Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009 (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Sirsa Haryana (dfopalwal@gmail.com)
6. The Executive Engineer, provincial Division, PWD B&R Palwal (pwd-eepd-palwal@hry.nic.in)

बेज नं. *24-25, सेक्टर-31 ए,* ***चंडीगढ़****-160030 /* ***Bays No.*** *24-25, Sector-31 A,* ***Chandigarh****-160030*
दूरभाष/Tel No *: 0172-2638061* ***Fax No :*** *0172-2638135* ***Email :*** *ronz.chd-mef@nic.in*

Signed by C D Singh
Date: 25-11-2021 15:38:21
Reason: Approved